न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 63/2021 तारीख दायर :–06.10.2021 दिनांक निर्णय :–27.10.2021

2021
113

निर्णय

1.पटवारी हल्का नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1घासीराम पुत्र गणेशराम जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर
2.मोती पुत्र गणेशराम जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर
3.सूरज प्रसाद पुत्र लटूर जाति मीना नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर
4.कालूराम पुत्र लटूर जाति मीना नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर
5.रामदयाल पुत्र लटूर जाति मीना नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी ह नयागाव बोलका द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रि इस आश्य की पेश की गई कि गैरसायलान घासीराम मोती पुत्रान गणेशराम, सूरज प्र कालूराम, रामदयाल पुत्रान लटूर जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ f अलवर द्वारा ग्राम नयागाव बोलका के आ0ख0न0 18 रकबा 1.20 हे0 में से 1.00 हे0 f चारागाह बारानी–3 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल खरीफ में जोत लगाकर अतिक्रमण लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजि किया जाकर गैरसायलान को जर्ये सम्मन तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से f तारीख पेशी पर मोती पुत्र गणेशराम जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील रा जिला अलवर उपस्थित आया जिसको जवाब हेतु समय चाहे जाने समय दिया गया। बावजूद भी गैरसायलान की ओर से कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायला विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सरह लगान 4 रूप 50 गुणा राशि 200/– रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार त हाजा को राजस्व लेखों में मांग कायमी एवं गिरदावर थानाराजाजी/पटवारी हल्का न बोलका को वसूली व बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम बाद तकलीम लेख भण्ड़ार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायाल सुनवाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 23 पर 4 ना.प. 200
राशि कायम किये गये।